

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur.
E-Mail- dlbrajasthan@gmail.com, Tel./Fax No. - 0141-2223074

क्रमांक प.6 (लेखा)RTIDF / बैठक / डीएलवी / 2017-18 / ५८६८

दिनांक : ३०/३/२०/१

— स्वीकृति आदेश :-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 03.08.2017 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 16393 दिनांक 14.08.2017 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 11.5.4 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को वर्ष 2018-19 की संचालन हानि के विरुद्ध माह जनवरी – 2019 से मार्च – 2019 की अवधि के लिये अनुदान राशि रु. 1119.00 लाख (अक्षरे रु. एवरह करोड उन्नीस लाख मात्र) आरएसआरटीसी को निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण निमानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाखों में)

विकलेय नम्बर	जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या – 51 3055 – सड़क परिवहन 00 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संगठक योजना (07) – राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [01] – परिवहन विभाग के माध्यम से 12 – सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि)	199.92
मांग संख्या – 30 3055 – सड़क परिवहन 00 796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (07) – राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [01] – परिवहन विभाग के माध्यम से 12 – सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि)	149.44
मांग संख्या – 29 3055 – सड़क परिवहन 00 800 – अन्य व्यय (07) – राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [04] – परिवहन विभाग के माध्यम से 12 – सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि)	769.64
कुल योग	1119.00

उक्त राशि हस्तान्तरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है :-

- आरएसआरटीसी इस राशि का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए जारी की गयी है। उसी में किया जाना सुनिश्चित करेगा तथा संबंधित यित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की पालना सुनिश्चित करेगा।
- निगम राशि का व्यय करते समय योजना के दिशा-निर्देशों/संबंधित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया एवं RTPP Act 2012/Rule 2013 की पूरी पालना किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- निगम भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा की आरटीआईडीएफ के नियमों की अक्षरता पूर्ण पालना की गई है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आईडी क्रमांक 171900240 दिनांक 29.03.2019 द्वारा प्रदत्त साहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.6 (लेखा)RTIDF / बैठक / डीएलवी / 2017-18 / ५८६८-८०

दिनांक : ३०/३/२०/१

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

03. महालेखाकर (लेखा एवं हक) / लेखा परीक्षा—प्रथम / द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
06. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्ता, परिवहन विभाग,राज० जयपुर।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
08. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
09. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज० जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को 05 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन हैं कि राशि रु. 1119.00लाख (अक्षरे रु. न्यारह करोड़ उन्नीस लाख मात्र) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 3821 में हस्तान्तरित करने का श्रम करावे।
11. काषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर।
12. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.ए.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अक मिलान शाखा।

(एस. आर. 'मीणा)
परियोजना निदेशक